संख्या-230/2018/3055/22-2-2017-17(389)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 28 फरवरी, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामपाल पुत्र श्री हरी सिंह, निवासी जनपद-बागपत की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-41815/प्रोबे0-5-दयायाचिका/997, दिनांक 21-11-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार रामपाल पुत्र श्री हरी सिंह, निवासी-ग्राम-लुहारी, थाना-बड़ौत, जनपद-बागपत का रहने वाला है। बन्दी द्वारा कुछ दिन पूर्व आपस में हुयी मारपीट की रंजिश को लेकर दिनांक 09.03.2000 को 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सरियों से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-299/2000 में भा0द0वि0 की धारा-302, 506 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, बागपत के आदेश दिनांक 19.10.2006 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध योजित अपील में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.07.2015 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी सजा को बहाल रखा गया। बन्दी का 01 सहअभियुक्त मा0 किशोर न्याय बोर्ड, जुएनाइल के आधार पर कारागार से रिहा, 01 आदर्श कारागार में सजा भुगत रहा है। बन्दी द्वारा दिनांक 03.01.2017 तक 09 वर्ष, 03 माह, 13 दिन की अपरिहार सजा तथा 12 वर्ष, 02 माह, 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, बागपत द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की आयु, काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी रामपाल (बन्दी संख्या-14307) पुत्र श्री हरी सिंह, निवासी जनपद-बागपत की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-230/2018/3055(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बागपत।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कारागार विभाग को मा0 राज्यमंत्री के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in